# हाइड्रोजन परियोजनाओं को लीज पर भूमि

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 को मंजूरी दे दी गई। नीति के तहत ग्रीन-हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्राम समाज की व अन्य सरकारी भूमि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। इस नीति से पांच वर्षों में 1.20 लाख रोजगार का सृजन भी होगा।

पहली पांच ग्रीन-हाइड्रोजन परियोजनाओं को 40 फीसदी तक वित्तीय प्रोत्साहन सरकारी देगी। यूपी की इस नीति से भारत सरकार द्वारा घोषित 2070 तक नेट जीरो ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

## नीति के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान

इस नीति के क्रियान्यवन के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप पांच सालों के लिए देगी।

**ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में 1.95 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित:** ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता के मुताबिक वैश्विक निवेश सम्मेलन के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश के 19 प्रस्ताव मिले हैं। 1.95 लाख करोड़ से अधिक का निवेश इस क्षेत्र में होना है।

प्रदेश सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए स्वच्छ व हरित ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन व सह उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह नीति तैयार किया है। नीति पांच साल के लिए है। परियोजनाओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। ग्रान हाइडड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं पर स्थानीय डिस्काम से बिजली लेने पर औद्योगिक दरें लागू होंगी। ग्रीन ऊर्जा को थर्ड पार्टी बिक्री पर व्हीलिंग, ट्रांसमिशन चार्ज व क्रास सब्सिडी चार्ज पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी।